

डिजाईन इनोवेशन एण्ड इनक्यूबेशन सेन्टर
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

डिजाईन इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन सम्बन्धित नियमावली

प्रायः ऐसा देखा गया है कि धरती से जुड़े आम आदमी की बहुत सी समस्याओं के कतिपय समाधान अनपढ़ अथवा कम पढ़े लिखे लोग / संसाधन विहीन व्यक्तियों के पास भी होते हैं। जिनमें से अधिकांश लोग अपने अंशकों को क्रियान्वयित करने के अवसर नहीं पाते हैं। इसलिये, विश्वविद्यालय द्वारा डी0आई0आई0सी0 के माध्यम से, यह सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है, कि ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों या विचारों को भी स्क्रीनिंग समिति परीक्षित करेगी और यदि उसमें सम्भावना दिखती है तो उसे मूर्त रूप दिये जाने का प्रयास किया जायेगा। किसी भी विचार / प्रस्ताव को मात्र इसलिये नहीं निरस्त किया जायेगा, क्योंकि वह अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे, कमजोर अथवा संसाधन विहीन व्यक्ति द्वारा दिया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा विचारोपरान्त इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन के क्रियाकलापों एवं तत्क्रम में स्थापित केन्द्रों के सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

1. उद्देश्य

- 1) नवीनतम तकनीकी एवं व्यावसायिक विचारों को वास्तविक उत्पाद एवं सेवाओं में परिवर्तित करना।
- 2) कृषि, विज्ञान, सेवाओं, तकनीकी आदि जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं में नवीनतम अन्वेषण को मूर्तरूप में साकार करना।
- 3) शिल्पकारों, बुनकरों, कास्तकारों, मैकेनिक, बढई, कुम्हार, आदि के उपयोगार्थ वैज्ञानिक नवीन अन्वेषण को सुधार कर ऐसे उत्पाद विकसित करना, जो वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक हों।
- 4) लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग करना।
- 5) उपलब्ध क्षमता के अनुसार उद्योगों/अन्य संस्थाओं को परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
- 6) व्यावसायिक उत्पादन में जाने से पूर्व नव उत्पाद का बाजार परीक्षण एवं उत्पाद के सुधार हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना।

2. पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति / संस्था / उद्योग सम्मिलित हो सकेंगे :-

- 1) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी अथवा छात्र
- 2) उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति।
- 3) उत्तर प्रदेश में स्थित संस्था / उद्योग।

3. आवेदन की प्रक्रिया

पात्र व्यक्तियों/ संस्था को आवेदन के समय निम्नवत् स्वहस्ताक्षरित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। प्रार्थी को इनोवेशन/इनक्यूबेशन का चयन कर आवेदन करना होगा।

- 3.1 व्यवसाय योजना / कार्यकारी सारांश / Business Plan/ Executive Summary)
- 3.2 बौद्धिक संपदा घोषणा कार्यपत्रक / Intellectual Property declaration worksheet)
- 3.3 सीड निधि के लिए आवेदन (यदि आवश्यक हो) / Application for seed fund (if required)
- 3.4 आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण / Statement of infrastructure requirements
उम्मीद की गई जानकारी / The details expected are
 - कार्यालय के लिये जगह (वर्ग फुट में) / office space (in sq feet)
 - पीसी की संख्या (अधिकतम 5) / Number of PCs (maximum of 5)

- अन्य किसी भी विशेष प्रयोगशाला की सुविधा की आवश्यकता है, यदि प्रस्तावित कंपनी को संस्थान में निकटता से किसी भी प्रयोगशाला के साथ मिलना चाहती है, फर्नीचर की आवश्यकताओं, टेलीफोन, कनेक्टिविटी और समान रूप से एमएमएमयूटी से R&D का समर्थन आवश्यक है, यदि कोई हो। any special lab facility needed, if the proposed company/ innovator wants to be closely coupled to any lab in the institute, furniture requirements, telephone, connectivity and alike. R&D Support required from MMMUT, if any.)

- 3.5 उद्देश्य का विवरण (प्रमोटर्स को डीआईआईसी में इनोवेशन/इनक्यूबेशन करने से क्या फायदे और मूल्य मिलते हैं) / Statement of Purpose (what benefits and values do the promoters see from getting innovated/incubated in DIIC)
- 3.6 समय सारिणी - कार्य प्रारम्भ करने की प्रस्तावित तारीख और रहने की अनुमानित अवधि / Schedule - proposed date of moving in and anticipated duration of stay.
- 3.7 (इनक्यूबेशन की स्थिति में) एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख memorandum of understanding (MoU) (यदि कंपनी पहले से ही बनाई गई है, अन्यथा यह इनक्यूबेशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए) / In case of Incubation, Memorandum of Association and Articles of Association (if the company has already been formed, otherwise this would have to be submitted within 30 days from the date of incubation)

4. आवेदन पत्रों के परीक्षण की प्रक्रिया

आवेदन प्राप्त होते ही DIIC समन्वयक प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट विचार संख्या (Unique Idea No.) आबंटित करेंगे। विचार का विवरण (Unique Idea No.) सहित एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा, जो इस हेतु संस्था द्वारा निर्धारित किया जायेगा। तदोपरान्त आवेदक को उसके विचार (Unique Idea No.) सहित प्राप्ति की सूचना email अथवा फोन द्वारा प्रेषित की जायेगी। इस email में यह भी अंकित किया जायेगा कि आवेदक का विचारों पर बौद्धिक अधिकार है और यदि इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन प्रक्रिया के बाद विचार किसी व्यावसायिक उपयोग में आता है तो उस विचार से प्राप्त होने वाली धनराशि में से 25 प्रतिशत पर मूल विचार देने वाले व्यक्ति / संस्था का अधिकार होगा। शेष आय इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन संस्था तथा विचारों को व्यावसायिक रूप से उपयोग करने वाली व्यावसायिक संस्था की होगी।

उक्त रीति से प्राप्त आवेदन पत्रों / प्रस्तावों को DIIC समन्वयक विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति निम्नवत गठित होगी :-

- | | |
|---|---------|
| 1) DIIC का नामिनी | समन्वयक |
| 2) विश्वविद्यालय से प्रस्ताव से सम्बंधित विधा के अनुसार 2 विषय विशेषज्ञ | सदस्य |

उपरोक्त स्क्रीनिंग समिति इनोवेटर्स/इनक्यूवेटर्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का प्रारम्भिक मूल्यांकन करेगी एवं परीक्षणोपरान्त प्रस्तावों को इनोवेशन / इनक्यूबेशन हेतु संदर्भित करेगी एवं सम्बंधित प्रस्ताव हेतु विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से कम से कम एक मेंटर की नियुक्ति हेतु संस्तुति प्रदान करेगी। परियोजना स्वीकार करने के समय विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट समिति, विषय विशेषज्ञ के साथ विचार - विमर्श कर, यह भी निर्धारित करेगी कि परियोजना कितने समय में पूर्ण की जानी चाहिए। (प्रारूप-3)

इस प्रकार संस्था (DIIC) द्वारा कार्य हेतु लिये गये विचार / परियोजना पर इनोवेटर्स/इनक्यूवेटर्स के साथ समन्वय करते हुए उसे अपना पूर्ण सहयोग देगी तथा अभिनव विचार / परियोजना को साकार करने का प्रयास करेगी। संस्था स्तरीय कोर समिति यह भी निर्णय करेगी कि उसके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव इनोवेशन अथवा इनक्यूबेशन में से किस प्रकृति का है।

5. इनोवेटर/इनक्यूवेटर के रूप में कार्य करने हेतु ग्राह्य शुल्क

इस हेतु कार्य करने वाले इनोवेशन / इन्क्यूबेशन केन्द्र निम्न प्रकार धनराशि मूल आवेदक से प्राप्त कर सकेंगे :-

क	मद का नाम	इनोवेशन कार्य हेतु ग्राह्य शुल्क	इन्क्यूबेशन कार्य हेतु ग्राह्य शुल्क
1	कम्प्यूटर सुविधा	शून्य	रु. 1000 प्रति कम्प्यूटर प्रति माह
2	प्रिन्टर सुविधा	शून्य	रु. 1.00 प्रति पृष्ठ
3	इन्टरनेट सुविधा	शून्य	रु. 500.00 प्रति माह
4	लाइब्रेरी	शून्य	शून्य
5	लैबोरेट्री सुविधा	शून्य	शून्य
6	अध्यापक / विद्यार्थियों का तकनीकी ज्ञान व उनका सहयोग	शून्य	शून्य
7	संस्था में उपलब्ध स्किल्ड मैन पावर का सहयोग	शून्य	शून्य
8	अन्तर्विभागीय सहायता	शून्य	शून्य
9	विद्युत व्यय	शून्य	वास्तविकता के आधार पर
10	कंज्यूमेबिल्स	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
11	स्थान / आफिस किराया (यदि आवश्यक हो)	रु. 2.00 प्रति वर्ग फिट अधिकतम 500.00 प्रति माह(अधिकतम एक माह)	रु. 10.00 प्रति वर्गफीट अधिकतम 2500.00 प्रति माह तथा अधिकतम एक माह हेतु
12	छात्रावास सुविधा	रु. 300.00 प्रति माह अधिकतम 1 माह के लिए	रु. 500.00 प्रति माह अधिकतम 1 माह के लिए ।
13	मेस सुविधा	वास्तविक	वास्तविक
14	अन्य सुविधायें जो संस्था आवश्यक समझे	वास्तविक	वास्तविक

6. प्रोजेक्ट की समीक्षा : प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की मासिक रूप से इनोवेटर / इन्क्यूबेटर और विश्वविद्यालय द्वारा नामित मॅटर (दोनों के हस्ताक्षर से प्रारूप 3) डी0आई0आई0सी0 समन्वयक को प्रस्तुत किया जायेगा । प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा के लिये डी0आई0आई0सी0 समन्वयक द्वारा समय-समय पर डी0आई0आई0सी0 द्वारा नामित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिये प्रोजेक्ट के सदस्यों को बुलाया जायेगा, यहीं समिति प्रोजेक्ट को आगे ले जाने या बन्द करने के बारे में संस्तुति देगी।

7. नियमों का संशोधन: उपरोक्त समस्त नियमों का संशोधन समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त अथवा मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में तत्काल प्रभाव से लागू किये जा सकेंगे।